सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–महावीर सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 44/19 **निर्णय दिनांकः– 30.09.2019**

1. चांदाराम पुत्र मंगलाराम
2. चौरूलाल
3. गौरीशंकर | पुत्रगण चान्दाराम
4. सुखदेव

जाति कुम्हार निवासीगण चक 273–150 आरडी तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. सम्पतराम | पुत्र/पुत्री चान्दाराम
2. संतोष उर्फ धापू
3. अनु
4. राजुराम | पुत्रगण सम्पतराम
5. छोटूराम

जाति कुम्हार निवासीगण चक 273–150 आरडी तहसील लूणकरनसर जिला बीकनेर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 16–08–2019
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थितः

1. श्री अजय ओझा, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियाँ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 16–08–2019 जिसके द्वारा अपीलांट के विरुद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कहा कि जैर अपील आदेश अब प्रभाव में नहीं रहा है, इसलिए इस अपील का गुणावगुण पर निर्धारण नहीं हो सकता। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है ऐसी स्थिति में प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा 2001(1) आर.आर.टी.01 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मूल न्यायालय को नये सिरे से निर्णय करने हेतु लौटा दिया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि यह अपील अब निष्फल हो चुकी है क्योंकि जिस जैर अपील आदेश के विरुद्व की गयी है वह दिनांक 12–09–2019 तक प्रभावी था और इसके बाद इस आदेश की अवधि नहीं बढ़ाई गयी है। अतः अपील गुणावगुण पर निर्णय हेतु अधिनस्थ न्यायालय को लौटाई जावे।

5. बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया ।

6. प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर द्वारा दिनांक 16–08–19 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया था जिसकी अवधि दिनांक 12–09–2019 तक थी । आज उक्त जैर अपील आदेश प्रभाव में नहीं है क्योंकि उसकी अवधि आगे नहीं बढ़ाई गयी है। इसलिए अपील निष्फल हो चुकी है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पारित किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक

16—08—2019 को निरस्त करते हुए प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा "बाबूलाल बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू" 2001(1) आर.आर.टी. 01 में दिये गये दृष्टान्त के अनुसार यह प्रकरण मूल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि वे प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित करें । उभय पक्ष को जरिये अभिभाषक निर्देश दिये जाते है कि वे उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के समक्ष दिनांक 18—10—2019 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे ।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

निर्णय आज दिनांक 30—09—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(म[illegible] सिंह)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर